<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्ल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 421 / 07</u> संस्थापन दिनांक:--17 / 06 / 03 फाईलिंग नं. 233504000032003

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

सुरेश पिता फूलचंद सूर्यवंशी उम्र 38 वर्ष, निवासी ससाबड़, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

<u>.....अभियुक्त</u>

<u> -: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 14.10.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 (आठ काउंट में), 338 (दो काउंट में) भा0दं०सं० एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 66 / 192 (ए), 3 / 181 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 19.07.2003 को करीब 03:50 बजे ग्राम रतेड़ा आमला आम रास्ते पर द्रेक्स क. एमपी—28—ए—0629 को तेजी एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को तेजी एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर पलटाया जिससे सविताबाई, रूकमणी, रामकलीबाई, लिलताबाई, सुगरतीबाई, नान्हू, सुनीता, पन्नालाल को स्वेच्छया साधारण उपहित तथा आहत पुनीबाई एवं चम्पाबाई को घोर उपहित कारित की तथा उक्त वाहन को परिमट के उल्लंखन में एवं बिना बीमा के चलाया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी पुनीबाई 19.07. 2013 चंपाबाई, सुनीता, नन्हू, सोमरतीबाई, लिलताबाई, रामकलीबाई, रूकमणीबाई एवं सिवताबाई के साथ आमला से टेम्पो द्रेक्स क. एमपी—28—ए—0629 में बैठकर छावल मंदिर पूजापाठ करने जा रहे थे। गाड़ी के ड्रायवर ने गाड़ी को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर रतेड़ा रोड पर गाड़ी को पलटा दिया जिससे गाड़ी में बैठे सभी लोगों को चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में टेम्पो ट्रेक्स क. एमपी—28—ए—0629 के चालक के विरुद्ध अपराध क. 146 / 03 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहतगण

का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। घटना स्थल से द्रेक्स क. एमपी—28—ए—0629 एवं कलाबाई से वाहन की आरसी बुक एवं इंश्योरेंस के जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आहत पुनीबाई एवं चंपाबाई की एक्सरे रिपोर्ट में फेक्चर पाये जाने से अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर द्रेक्स क. एमपी—28—ए—0629 को तेजी एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेजी एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर पलटाया जिससे सविताबाई, रूकमणी, रामकलीबाई, लिलताबाई, सुगरतीबाई, नान्हू, सुनीता, पन्नालाल को स्वेच्छया साधारण उपहित तथा आहत पुनीबाई एवं चम्पाबाई को घोर उपहित कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को परमिट के उल्लंखन में एवं बिना बीमा के चलाया ?
- 4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष

- 5 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 6 राकमलीबाई (अ.सा.—12) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि ६ । टना के समय वह अभियुक्त सुरेश की जीप में बैठी थी। साथ में उसकी बहू पूनी भी बैठी थी। रास्ते में जीप पलट गयी जिससे उसकी बहू का हाथ टूट

गया और उसकी कमर, छाती में चोट आयी और पसली के पास की हड्डी फेक्चर हो गयी। पूनीबाई (अ.सा.—1) एवं चम्पाबाई (अ.सा.—2) ने बताया है कि वह अभियुक्त की गाड़ी में छावल की ओर जा रही थी। नाले के पास गाड़ी पलट गयी जिससे उसके बांये हाथ पर चोट आकर हड्डी टूट गयी थी तथा साक्षी चम्पाबाई ने बताया है कि उसके बांये हाथ की अंगुली टूट गयी थी।

7 पन्नालाल (अ.सा.—9), सुनीता साहू (अ.सा.—10), सुगरतीबाई (अ. सा.—3), लिलता (अ.सा.—4) एवं नांदू साहू (अ.सा.—6) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह अभियुक्त की जीप से छावल जा रहे थे रास्ते में जीप पलट गयी थी जिससे उसे एवं अन्य लोगों को चोटें आयी थी। सुनीता साहू (अ.सा.—10) ने यह भी प्रकट किया है कि उसे रीढ़ की हड्डी में चोट आयी थी। चार—पांच बार आपरेशन भी हुआ था तथा साक्षी पन्नालाल (अ.सा.—9) ने बताया है कि उसे कान के पास चोट आयी थी। नांदू साहू (अ.सा.—6) ने यह भी बताया है कि उसे सिर और पैर में चोट आयी थी। सुगरतीबाई ने यह बताया है कि उसे सिर में चोट आयी थी। साक्षी लिलता ने बताया है कि उसे सिर पं चोट आयी थी। साक्षी लिलता ने बताया है कि उसे सिर एवं पीठ में चोट आयी थी।

डॉ. एस शुक्ला (अ.सा.-5) ने दिनांक 19.04.2003 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत पुनीबाई का परीक्षण किये जाने पर आहत के बांये हाथ में सामने की तरफ कृष इंजुरी एवं कटा फटा घाव 10 गुणा 8 सेमी एवं 10 गुणा 4 सेमी. आकार का बांये हाथ में उपर की तरफ पाया था। आहत चंपाबाई का परीक्षण किये जाने पर आहत के सिर में बांयी ओर 5 गूणा 1 सेमी. आकार का कटा फटा घाव, बांयी कलाई में 2 गुणा 1 सेमी. आकार का कटा फटा घाव, बांयी छोटी अंगुली पर 1 गुणा आधा सेमी. आकार की खरोज एवं बांये कंधे पर 4 गुणा 1 सेमी. आकार का कटा फटा घाव पाया था। आहत सविता का परीक्षण किये जाने पर आहत की बांयी कोहनी पर 1 गूणा आधा सेमी. आकार का कटा फटा घाव पाया था। आहत ललिता का परीक्षण किये जाने पर आहत के माथे पर आधा गुणा आधा सेमी. आकार की खरोच पायी थी। आहत स्गरतीबाई का परीक्षण करने पर आहत के बांये कंधे पर 4 गूणा 2 सेमी. आकार का कंटूजन पाया था। आहत नांदू का परीक्षण किये जाने पर आहत के माथे पर 2 गुणा आधा सेमी. आकार की खरोच पायी थी। आहत पन्नालाल का परीक्षण किये जाने पर आहत की दांहिनी कोहनी पर आधा गुणा आधा सेमी. आकार का कटा फटा घाव पाया था। साक्षी ने सभी आहतगण को आयी चोटें कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना संभावित प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-9 को प्रमाणित किया है।

डॉ. एन.आर. पाणी (अ.सा.-15) ने दिनांक 19.04.2003 को पाढर

अस्पताल बैतूल में अस्थिरोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ रहते हुए दिनांक 19. 04.2003 से दिनांक 27.04.2003 तक अस्पताल में आहत पुनीबाई भरती को भरती रहते हुए आहत का बांया हाथ कुचला एवं आहत के एक्सरे के उपरांत उसके बांये बाहू एवं अग्र भाग की हड्डी टूटी पायी थी जिस पर उसके द्वारा दिनांक 20.04.2003 को आहत का आपरेशन किया गया था तथा दिनांक 01.05. 03 से 31.05.03 तक आहत के दो तीन आपरेशन किए गये थे। साक्षी ने उक्त दिनांक को ही उसने आहत चंपाबाई का परीक्षण किये जाने पर आहत के सिर पर कटा हुआ घाव एवं बांये कंधे पर चोट पायी थी। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी—14 एवं प्रदर्श पी—15 को प्रमाणित किया है।

- 10 चिकित्सक साक्षी डॉ. एस. शुक्ला (अ.सा.—5), डॉ. एन.आर. पाणी (अ.सा.—15) तथा साक्षी पूनीबाई (अ.सा.—1) एवं चम्पाबाई (अ.सा.—2) पन्नालाल (अ.सा.—9), सुनीता साहू (अ.सा.—10), सुगरतीबाई (अ.सा.—3), ललिता (अ.सा.—4) एवं नांदू साहू (अ.सा.—6) एवं रामकली (अ.सा.—12) के कथनों से आहतगण को दुर्घटना में चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।
- 11 बी.एस. तोमर (अ.सा.—15) ने दिनांक 19.04.2003 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को प्रार्थी पन्नालाल की रिपोर्ट पर टेम्पो ट्रेक्स क. एमपी—28—ए—0629 के चालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी—14) लेख किया जाना प्रकट करते हुए उसे प्रमाणित किया है।
- 12 एस.एस. शर्मा (अ.सा.—16) ने दिनांक 19.04.2003 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क. 146/03 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर फरियादी पन्नालाल की निशादेही पर मौका नक्शा (प्रदर्श पी—16) एवं घटना स्थल से क्षतिग्रस्त हालत में जीप क. एमपी—28—ए—0629 जप्त कर (प्रदर्श पी—9) का जप्ती पत्रक तैयार तथा दिनांक 23.04.03 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी—17) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।
- 13 शंकरलाल (अ.सा.—8) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि उसकी शंकर बेल्डिंग वर्कशाप के नाम से बस स्टेंड में रिपेरिंग की दुकान वर्ष 1984 से हैं। साक्षी ने थाना आमला के अपराध क. 146/03 से संबंधित टेम्पो ट्रेक्स क. एमपी—28—ए—0629 का मैकेनिकल परीक्षण न करना व्यक्त किया है। साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं किये हैं।

14 उमा धुर्वे (अ.सा.—13), कलाबाई (अ.सा.—14) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अतः उपर्युक्त साक्षियों के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

15 रामकली बाई (अ.सा.—12), सुगरतीबाई (अ.सा.—3) ने बताया है कि अभियुक्त सुरेश जीप को तेज गित से चला रहा था जिससे जीप पलट गयी थी। सुनीता (अ.सा.—10), पन्नालाल (अ.सा.—9), नांदू साहू (अ.सा.—6), पूनीबाई (अ.सा.—1), चम्पाबाई (अ.सा.—2), लिलता (अ.सा.—4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त सुरेश ने जीप को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर पलटा दिया था। सुनील (अ.सा.—7) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी उस वाहन से वह पहले अपनी पत्नी मोनिका को लेकर आमला आया था उसी वाहन से उसी दिन एक्सीडेंट हो गया था और उस वाहन को अभियुक्त चला रहा था।

रामकलीबाई (अ.सा.–12) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जिस जीप में बैठकर वह छावल की ओर जा रही थी वह किसके नाम पर थी इसकी उसे जानकारी नहीं है। जीप में वह बीच में बैठी थी और जीप के चालक को वह पहले से नहीं जानती थी। पहली बार वह उसकी जीप में बैठी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसे घटना के तीन चार दिन बाद पता चला था कि दुर्घटना कारित करने वाली जीप को सुरेश चला रहा था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसने अभियुक्त सुरेश को पहले कभी नहीं देखा था तथा घटना के समय भी वाहन चालक को नहीं देखा था और न ही वह यह देख पायी थी कि गाडी कैसे चल रही थी। सुनीता साहू (अ.सा.–10) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह जीप में सबसे पीछे बैठी थी। वाहन को दुर्घटना के समय कौन चला रहा था इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसने अभियुक्त को दुर्घटना के पहले वाहन चलाते नहीं देखा था। साक्षी ने स्वतः में कहा है कि वह वाहन को चला रहा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि वह गाडी में पीछे बैट गयी थी। घटना के समय वाहन को कौन चला रहा था उसने नहीं देखा था।

17 पन्नालाल (अ.सा.—9) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्त को घटना के पहले से नहीं जानता था। वह जीप में पीछे बैठा था। जैसे ही घटना हुई वह बेहोश हो गया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने अभियुक्त को दुर्घटना के समय वाहन चलाते नहीं देखा था। नांदू साहू आस6 ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना स्थल

रतेज़ रोड पर गडढे थे। पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को कौन चला रहा था उसने नहीं देखा था। जीप कैसे चल रही थी वह भी नहीं देखा क्योंकि वह बीच में बैठा हुआ था। इस सुझाव को सही बताया है कि वह घटना के बाद बेहोश हो गया था। पूनीबाई (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह जीप में बीच वाली सीट पर बैठी थी। गाड़ी कैसे पलटी उसे नहीं मालूम। वह स्पाट पर ही बेहोश हो गयी थी। गाड़ी सुरेश चला रहा था। अभियुक्त सुरेश को वह पहले से जानती थी। एक्सीडेंट के पहले अभियुक्त को नहीं पहचानती थी। मैंने घटना के दिन के बाद आज अदालत में देख रही हूं।

वम्पाबाई (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में इस सुझाव को गलत बताया है कि गाड़ी को चलाने वाला कौन से गांव का रहने वाला था उसे नहीं मालूम। स्वतः कहा कि वहां पर सभी लोग बोल रहे थे कि अभियुक्त ससाबड़ का रहने वाला है। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि वह आज पहली बार अभियुक्त को देख रही है। इस सुझाव को सही बताया है कि गाड़ी में बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त बाजू में बैठा हुआ था। इस सुझाव को गलत बताया है कि रोड खराब था इसलिए गाड़ी धीरे चल रही थी। स्वतः कहा कि तेज चल रही थी इसलिए तो पलटी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में इस सुझाव को सही बताया है कि बैतूल अस्पताल में होश आने के बाद किसी ने यह बताया था कि अभियुक्त सुरेश गाड़ी चला रहा था इसलिए उसे अभियुक्त का नाम याद रहा। इस सुझाव को गलत बताया है कि वह नहीं देख पायी थी कि गाड़ी कैसे पलटी। स्वतः कहा कि चालक कह रहा था कि आमला नकने दो फिर हल्ला करना और इसी दौरान गाड़ी पलटा दी।

19 सुगरतीबाई (अ.सा.—3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह जीप में बीच वाली सीट पर बैठी थी। यह सही होना बताया है कि रोड में पत्थर वगैरह और गड्ढे थे। इस सुझाव को गलत बताया है कि जहां गाड़ी पलटी वहां मोड़ था। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त गाड़ी नहीं चला रहा था। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि झ्यवर के आजू—बाजू दो लोग और बैठे थे इसलिए स्पष्ट तौर पर नहीं बता सकती कि गाड़ी को कौन चला रहा था। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि बीच में बैठने के बाद यह नहीं दिखायी दे रहा था कि गाड़ी कौन चला रहा था। स्वतः कहा कि गाड़ी में बैठने के पहले देखा था गाड़ी को यही आरोपी चला रहा था। पुनः से इस सुझाव को गलत बताया है कि रोड में पत्थर और गड्ढे थे इस कारण गाड़ी तेज नहीं चल रही थी। लिलता (अ.सा.—4) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि वह जीप में सबसे पीछे वाली सीट में बैठी

थी। इस सुझाव को गलत बतायाहै कि जीप में पीछे बैठे होने के कारण चालक दिखायी नहीं दे रहा था। स्वतः कहा कि ऐनक में से चालक दिखायी दे रहा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में साक्षी ने पुनः से इस सुझाव को गलत बताया है कि अचानक गाड़ी पलटने से वह नहीं देख पायी थी कि गाड़ी कौन चला रहा था।

- 20 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में अभियोजन साक्षीगणगण घटना के समय अभियुक्त के द्वारा जीप को चलाये जाने के कथन पर स्थिर नहीं है इसलिए यह स्थापित नहीं होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त सुरेश ही गाड़ी को चला रहा था। साथ ही घटना के समय अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाही से वाहन को चलाया जाना भी अभियोजन स्थापित नहीं कर पाया है। बचाव अधिवक्ता का एक तर्क यह भी रहा है कि वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाया जाना भी उपेक्षा और उतावलेपन का सूचक नहीं होता है।
- वचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में आहत सुगरतीबाई (अ.सा. —3) ने अपने परीक्षण में अभियुक्त सुरेश के द्वारा जीप को तेज गित से चलाया जाना बताया है। साथ ही साक्षी ने यह भी बताया है कि उन सब लोगों ने अभियुक्त से कहा था कि गाड़ी को धीरे से चलाओ। उपर्युक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में अपने तथ्यों पर अखंडित रही है। साक्षी लिलता (अ.सा.—4) ने भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त के द्वारा जीप को तेज गित एवं लापरवाही से चलाया जाना बताया है। पूनीबाई (अ.सा.—1) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने तेजी और लापरवाही से चलाकर नाले के पास गाड़ी पलटा दी थी। जीप पलटने से सभी सवारियों को चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण में भी साक्षी ने यह बताया है कि गाड़ी अभियुक्त सुरेश चला रहा था। वह सुरेश को पहले से जानती है। घटना के दिन के बाद अदालत में देख रही है। यह साक्षी भी अभियुक्त के द्वारा वाहन चलाये जाने एवं तेज गित एवं लापरवाही से चलाये जाने के कथनों पर पूर्णतः अखंडित रही है।
- 22 बचाव अधिवक्ता का यह तर्क है कि वाहन को मात्र तेजी से चलाया जाना लापरवाही का द्योतक नहीं है। बचाव अधिवक्ता का यह तर्क उचित है कि मात्र वाहन को तेजी से चलाया जाना लापरवाही या उपेक्षा का द्योतक नहीं हो सकता है, सुगरती (अ.सा.—3) एवं लिलता (अ.सा.—4) ने अपने कथनों में यह बताया है कि अभियुक्त जीप को तेजी से चला रहा था और तेजी से चलाकर गाड़ी को पलटा दिया था, जो यह दर्शाता है कि अभियुक्त ने घटना के समय उतनी सावधानी एवं सतर्कता नहीं बरती थी, जितनी कि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति को बरतना चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को जीप को उतावलेपन एवं

उपेक्षापूर्वक चलाकर पलटा दिया जिससे कि जिससे सविताबाई, रूकमणी, रामकलीबाई, लिलताबाई, सुगरतीबाई, नान्हू, सुनीता, पन्नालाल को स्वेच्छया साधारण उपहित तथा आहत पुनीबाई एवं चम्पाबाई को घोर उपहित कारित की।

23 चूंकि घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा वाहन को चलाया जाना प्रमाणित है। अतः यह भी प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा वाहन द्वेक्स क. एमपी—28—ए—0629 को परमिट के उल्लंखन में एवं बिना बीमा के चलाया।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

24 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रेक्स क. एमपी—28—ए—0629 को तेजी एवं उपेक्षा से चलांकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को तेजी एवं उपेक्षापूर्वक चलांकर पलटाया जिससे सविताबाई, रूकमणी, रामकलीबाई, लिलताबाई, सुगरतीबाई, नान्हू, सुनीता, पन्नालाल को स्वेच्छया साधारण उपहित तथा आहत पुनीबाई एवं चम्पाबाई को घोर उपहित कारित की तथा उक्त वाहन को परिमट के उल्लंखन में एवं बिना बीमा के चलाया। फलतः अभियुक्त सुरेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337(आठ काउंट में), 338(दो काउंट में) भाठदंठसंठ एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 66 / 192(ए), 3 / 181 के आरोप में दोषी पाया जाता है।

25 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगत किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

26 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। उसके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलेख पर नहीं है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का

कहना है कि अभियुक्त द्वारा वाहन को उपेक्षापूर्वक चलाकर वाहन को पलटा कर एक्सीडेंट कारित किया जाना जिसके परिणामस्वरूप आठ लोगों को साधारण एवं दो लोगों को घोर उपहित कारित की जाना प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दिण्डत किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

27 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा देक्स वाहन को उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित उक्त वाहन को पलटा कर उसमें बैठे सविताबाई, रूकमणी, रामकलीबाई, लिलताबाई, सुगरतीबाई, नान्हू, सुनीता, पन्नालाल को स्वेच्छया साधारण उपहित तथा आहत पुनीबाई एवं चम्पाबाई को घोर उपहित कारित की जाने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।

28 अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337(आठ काउंट में), 338 (दो काउंट में) भा0दं0सं0 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है। धारा 279 भा. दं.सं. का अपराध धारा 71 भा.दं.सं. के प्रावधानों के अर्थों में धारा 337 एवं धारा 338 के अपराध में समाहित है। अतः अभियुक्त को धारा 279 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडादिष्ट न करते हुए अभियुक्त सुरेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 337 (आठ काउंट में), धारा 338 (दो काउंट में) तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 66 / 192(ए), 3 / 181 के आरोप में निम्नानुसार दंड से दंडित किया जाता है:—

धारा	सश्रम कारावास	अर्थदंड	जुर्माना अदा न करने की दशा में सश्रम कारावास
337 भा.दं.सं. (आठ काउंट में)	तीन–तीन माह (प्रत्येक काउंट में)	कुछ नहीं	
338 भा.दं.सं. (दो काउंट में)	छह:-छहः माह (प्रत्येक काउंट में)	200 / — (प्रत्येक काउंट में)	सात दिवस
66 / 192(ए) मो.यान. अधि.	कुछ नहीं	2000 / -	एक माह
3 / 181 मो.यान.अधि.	कुछ नहीं	100 / -	सात दिवस

29 मुख्य कारावास की उपर्युक्त सभी सजाऐं साथ—साथ भुगतायी जावे। 30 अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्त को उप जेल मुलताई भेजा जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

31 प्रकरण में जप्तशुदा द्रेक्स क. एमपी—28—ए—0629 मय दस्तावेज सुपुर्ददार कलाबाई बेवा शिव धुर्वे निवासी शोभापुर क्लब के पास सारणी थाना सारणी जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

32 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)